न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या – 09/2020
दायर दिनांक – 10/11/2020
निर्णय दिनांक – 19-2-21

उनवान

1. चन्दना देवी पत्नी राजेश यादव जाति अहीर निवासी टोडियाकाबास तन लेकडी तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लेकडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 602 ग्रा0पं0 लेकडी द्वारा निर्णय दिनांक 20.10.2004 वाके मौजा टोडिया का बास

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. अपीलाण्ट – श्री बलवीर सिंह शेखावत एड0,श्री शिवचरण रावत एड0

–:निर्णयः–

आज यह अपील हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। अपील के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि साबिक आ0रख0न0 572 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 563 रकबा 1.47 है0 वाके मौजा टोडियाकाबास है जर्ये बयनामा दिनांक 16.07.2004 क्रम सं0 2004002363 अपीलाण्ट की खरीदशुदा आराजी है। उक्त बयनामे में अपीलाण्ट का सही नाम चन्दना देवी ही दर्ज है परन्तु उक्त बयनामे का नामान्तकरण सं0 602 दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट का नाम चन्दना देवी के बजाय चन्दन दर्ज कर दिया। रेस्पो0 सं0 01 ने भी बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करते हुये अपीलाण्ट का नाम चन्दना देवी के बजाय चन्दन देवी दर्ज कर दिया जबकि रेस्पो0 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं0 602 दिनांक 20.10.2004 ग्रा0पं0 लेकडी निरस्त कर नामान्तकरण सं0 602 में अपीलाण्ट का नाम चन्दन देवी के बजाय चन्दना देवी दर्ज व मंजूर किया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज [illegible] किया जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 सं0 01 [illegible] अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश कर निवेदन किया कि चन्दन [illegible] व चन्दना [illegible] पत्नि राजेश कुमार यादव दोनों एक ही महिला है। सर्वप्रथम [illegible] अधिनियम प्रा[illegible]पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.30 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

सुना गया। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश की कम पढी-लिखी महिला होने के कारण विलम्ब की अवधि कन्डोन की जाकर अपीलाण्ट अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। मूल नामान्तकरण तलब किया गया।

अपीलाण्ट वकील की बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अपीलाण्ट द्वारा साबिक आ0ख0न0 572 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाकै मौजा टोडियाकाबास तह0 बानसूर जर्ये बयनामा रजि0 सं0 2004002363 दिनांक 16.07.2004 द्वारा क्रय किया गया है। जिसमें अपीलाण्ट का नाम चन्दना देवी पत्नि राजेश कुमार हि0 1/2 दर्ज किया गया जो सही है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त बयनामे का नामान्तकरण सं0 602 दर्ज करते समय अपीलाण्ट का नाम चन्दना देवी की बजाय चन्दन पत्नि राजेश कुमार दर्ज कर दिया गया तथा बिना जाँच पडताल किये ही रेस्पो0 सं0 01 में उक्त नामान्तकरण सं0 602 दिनांक 20.10.2004 को स्वीकार कर फैसला कर दिया जिसका की उन्हें कानूनन कोई अधिकार नही था। उन्हें नामान्तकरण की जाँच के पश्चात ही निर्णय करना चाहिये था। उक्त नामान्तकरण जाँच का मोहताज है। उक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 602 मौजा टोडिया का बास निर्णय दिनांक 20.10.2004 द्वारा ग्रा0पं0 लेकडी अपीलाण्ट की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बानसूर को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि वे नामान्तकरण सं0 602 अपीलाण्ट द्वारा कराये गये बयनामे के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 19/2/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.30 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner